अतिमहत्वपूर्ण/ समयबद्ध/तत्काल

पत्र सं0- अपर आयु0(पुलिस)/प्रशिक्षण / 2022-23/ 486 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उत्तर प्रदेश
(पुलिस--कैम्प)
दिनांकः:लखनऊ:: 17 नवम्बर,2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया पुलिस अधीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पांच-111आर (मु0आ0 प्रशिक्षण)2021 दिनांक 14-11-2022 के द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:प्रनि-प-111-2019/3368 दिनांक 11-11-2022 का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में कुल-10200 मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 18-11-2022 से 01 माह के लिए किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है।

समसन्दर्भ में अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु नामित अपने-अपने जोन में कार्यरत मुख्य आरक्षियों को निर्देशित कर दें कि वह पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइड से प्रशिक्षण हेतु नामित प्रशिक्षण संस्थान की पुष्टि करने के उपरान्त अपने-अपने जोन कार्यालयों को अवगत करा दें। तत्पश्चात प्रशिक्षण हेतु पुलिस कर्मियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान के लिए आज ही कार्यमुक्त कर दे, जिससे वह अपनी योगदान आख्या समय से प्रस्तुत कर सके। प्रशिक्षण हेतु नामित पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति अवधि यदि प्रशिक्षण अवधि के अन्दर समाप्त हो रही हो तो उसकी सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त(पुलिस), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

JC (IT) 17/11/2022 3384

पृष्ठांकन पत्र संख्याः व दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:प्रनि-प-111-2019/3368 दिनांक 11-11-2022 के क्रम में।

2- पुलिस अधीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पांच-111आर (मु0आ0 प्रशिक्षण)2021 दिनांक 14-11-2022 के क्रम में।

3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु (संलग्नक)।

17/11/22
अपर आयुक्त(पुलिस), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

संख्या–पांच–111–आर(मु0आ0 प्रशिक्षण)2021 दिनांक:नवम्बर 14 , 2022

NK-27

सेवा मे,

1– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी।
4– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

विषयः– मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण कराने के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–प्रनि–प–111–2019 / 3368 दिनांक 11–11–2022 द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 18–11–2022 से 30 दिवस का मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवंटित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	प्रशिक्षण संस्थान	आवंटित कार्मिकों की संख्या
1	डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद	500
2	पी0टी0सी0 मुरादाबाद	850
3	पी0टी0एस0 मुरादाबाद	600
4	पी0टी0सी0 सीतापुर	600
5	पी0टी0एस0 मेरठ	700
6	पी0टी0सी0 उन्नाव	650
7	पी0टी0एस0 गोरखपुर	300
8	पी0टी0एस0 सुलतानपुर	600
9	पी0टी0एस0 जालौन	600
10	मुरादाबाद	200
11	रामपुर	250
12	बिजनौर	200
13	09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	300
14	23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	300
15	24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	200
16	मेरठ	200
17	06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ	300
18	44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ	200
19	सुलतानपुर	200
20	जालौन	200
21	सीतापुर	300
22	02वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर	300
23	11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर	300
24	27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर	200
25	गोरखपुर	300
26	देवरिया	300

27	26 वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर	200
28	मीरजापुर	150
29	39 वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर	200
	योग	**10200**

2— प्रशिक्षण हेतु नामित समस्त महिला कार्मिकों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद के लिए प्रस्थान कराया जाय। यदि किसी महिला कर्मी का आवंटन दूसरे प्रशिक्षण संस्थान में हो गया हो तब भी उन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद के लिए ही प्रस्थान कराया जाय।

3— अपने—अपने अधीनस्थ नियुक्त उक्त मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को सूचित कर दिया जाय कि मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पद का 30दिवस का आधारभूत प्रशिक्षण करना अनिवार्य है।** जो मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाय कि प्रशिक्षण के अभाव में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा, जो उन्हें स्वीकार होगा। **ऐसे कार्मिकों से इस आशय का लिखित रूप से संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि वह उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है।** प्रशिक्षण पूर्ण न करने पर कर्मी अगले पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले पदोन्नति से वंचित किसी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की होगी। संलग्न सूची में अंकित **सभी कार्मिकों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाय कि प्रशिक्षण प्राप्त करने का यह अन्तिम अवसर है। जो कर्मी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा उसे पुनः प्रशिक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।**

4— अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—प्रनि—प—111—2019/886 दिनांक 08—06—2022 द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से चिकित्सीय स्वघोशणा पत्र निर्धारित प्रारूप में लेकर प्रशिक्षण संस्थान में लेकर जाने की अपेक्षा की गयी है। अतएव चिकित्सीय स्वघोषणा पत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रशिक्षण में जाने वाले सभी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से निर्धारित प्रारूप में चिकित्सीय स्वघोशणा पत्र प्राप्त कर जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्थान कराया जायेगा।

नामित किये गये मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की सूची में केवल मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पदधारकों को ही प्रशिक्षण के लिए रवाना किया जायेगा, यदि कोई कर्मी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर नियुक्त नहीं दूसरे पद पर नियुक्त है तो उसे प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान नहीं कराया जायेगा और वास्तविक वस्तुस्थिति से इस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5— जो मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस आधारभूत प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना एवं कर्मी द्वारा दिया गया **प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।**

6— मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस कार्मिकों का आधारभूत प्रशिक्षण सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 18—11—2022 से प्रारम्भ हो रहा है। अतः सम्बन्धित कार्मिकों को ऐसे समय से रवाना किया जाय कि **अपने आगमन की सूचना सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख को दिनांक 17—11—2022 को सायंकाल तक अवश्य दे** तथा अपने साथ **फिटनेस प्रमाण पत्र,** आई0टी0/पी0टी0 की वर्दी पहनने हेतु समुचित मात्रा में मौसम के अनुसार कपडे व बिस्तर, मेस एडवान्स, मास्क, सेनेटाइजर तथा **मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा**

प्रदत्त शारीरिक स्वस्थता चिकित्सीय प्रमाण पत्र, जिसमें गम्भीर बीमारी, उच्च रक्तचाप, शुगर, श्वास एवं पथरी इत्यादि रोगो का विवरण अवश्य हो, अपने साथ लेकर जाना सुनिश्चित करें। प्रतिभागियों से सम्बन्धित सभी जनपद/इकाई को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने व नोडल अधिकारी सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र के सम्पर्क में रहने के निर्देश भी दिये जाये।

7– समस्त जनपद/इकाई प्रभारी प्रशिक्षण हेतु संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु समय से रवाना करें तथा **ब्रीफ भी करें कि कार्मिक की प्रशिक्षण हेतु यात्रा के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।** प्रशिक्षण हेतु नामित समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण में भेजने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारियों की होगी।

8– उक्त सम्बन्ध में अपने–अपने जनपद/इकाई के कार्मिकों को निर्देशित कर दें कि संलग्न सूची में अंकित किये गये विवरण के अनुसार सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों में वह **अपना आगमन दिनांक 17–11–2022 को सायंकाल तक प्रत्येक दशा में अवश्य करायें।** यदि संलग्न सूची में अंकित कर्मी अपने जनपद से किसी अन्य जनपद/इकाई/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित/ सम्बद्व हो गये हैं तो कृपया सम्बन्धित जनपद/इकाई को भी फैक्स/ई–मेल द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करें, ताकि कोई मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस प्रशिक्षण से वंचित न होने पायें।

9. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

14-11

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्याःप्रनि–प–111–2019/3368 दिनांक 11–11–2022 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिःसंस्था प्रमुख, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, पीटीसी मुरादाबाद, पीटीएस मुरादाबाद, पीटीसी सीतापुर, पीटीएस मेरठ, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव, पीटीएस गोरखपुर, पीटीएस सुलतानपुर एवं पीटीएस जालौन को प्रशिक्षण में भेजे जाने वाले मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के कर्मियों की सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि तदनुसार कृपया अवश्यक कार्यवाही कराने तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले कर्मियों का पदनाम/पिता का नाम/जिस जनपद/इकाई से आगमन कराये हैं/आगमन दिनांक आदि का विवरण उक्त प्रारूप में ही इस मुख्यालय को उक्त ई–मेल पर एवं हार्ड कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिःवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक, पीएसी (आरटीसी प्रमुख) मुरादाबाद, मेरठ, सुलतानपुर, जालौन, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया, मीरजापुर, बिजनौर, रामपुर, 02वी वाहिनी पीएसी सीतापुर, 06 वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को प्रशिक्षण में भेजे जाने वाले मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के कर्मियों की सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि तदनुसार कृपया अवश्यक कार्यवाही कराने तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले कर्मियों का पदनाम/पिता का नाम/जिस जनपद/इकाई से आगमन कराये हैं/आगमन दिनांक आदि का विवरण उक्त प्रारूप में ही इस मुख्यालय को उक्त ई–मेल पर एवं हार्ड कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र

समक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/इकाई

मैं मुख्य आरक्षी ....पुत्र स्व0 श्री...
.......पी0एन0ओ...नियुक्ति स्थान...निवासी............
........................वर्तमान समय में मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त हूँ।

उत्तर प्रदेश आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवानियमावली 2015 यथा संशोधित में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पद का 02 माह का आधारभूत प्रशिक्षण करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण के अभाव में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा

मैं अपनी निम्नलिखित समस्याओं के कारण मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना चाहता:—

....
....
....
....
.... मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी है कि प्रशिक्षण के अभाव में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति से वंचित कर दिया जायेगा, जो मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा इस आशय का लिखित रूप से प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र दिया जा रहा है कि मैं उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं हूँ तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करूँगा तथा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा भविष्य में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।

लिखित रूप से स्वघोषणा पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

हस्ताक्षर

नाम...
पदनाम..
पीएनओ..
नियुक्ति स्थान एवं दिनांक.........

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

चिकित्सकीय स्व-घोषणा पत्र

1. सामान्य विवरण:—

1.1 प्रशिक्षणार्थी का नाम -...

1.2 प्रशिक्षणार्थी की जन्मतिथि -...

1.3 पी0एन0ओ0 -...

1.4 नियुक्ति जनपद / शाखा -...

1.5 गृह जनपद -...

1.6 ब्लड ग्रुप -...

1.7 पारिवारिक सदस्यों का मोबाइल नं0—1-.................................. 2-..................................

1.8 पारिवारिक सदस्यों का नाम- A...

B...

C...

D...

2. वर्तमान में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ (यदि हैं तो अंकित करें)—....... ....

....

3. वर्तमान में ली जाने वाली दवाइयों के नाम:—

a. नाम दवा...कब से प्रचलित.............

b. नाम दवा...कब से प्रचलित.............

c. नाम दवा...कब से प्रचलित.............

4. पिछले 06 माह में क्या कभी किसी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, यदि हाँ तो विवरण अंकित करें—

a. चिकित्सक का नाम व नम्बर —...

b. अस्पताल का नाम —...

नोट:—स्व - घोषणा पत्र कि वे प्रशिक्षण करने के लिए स्वस्थ हैं।

हस्ताक्षर...

नाम प्रशिक्षणार्थी.....................................

मोबाइल नं0...

दिनांक...

प्रति हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर...

पद व नाम राजपत्रित अधिकारी.......................................

जनपद / शाखा...